



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर ओमेगा-1
ग्रेटर नोएडा - 201308, जिला- गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)
दूरभाष नं.: 0120-2395201 फैक्स नं०: 0120-2395150

सार्वजनिक सूचना

1. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र की द्वितीय चरण की महायोजना के अन्तर्गत 02 नगरीय केन्द्रों टप्पल-बाजना व राया के विकास हेतु प्रस्तावित महायोजनाओं में यमुना एक्सप्रेसवे पर एट्री एक्सट/इंटरचेन्ज के निकट चिह्नित किए गए छोटे अर्बन नोड के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उसकी प्रति यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों तथा प्राधिकरण कि वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध रहेगी।
3. एतद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में अपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं।
4. आपत्तियां और सुझाव मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर -पी -2, ओमेगा, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर को लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक भेजे जा सकते हैं।
5. आपत्तियां और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या देना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर ओमेगा-1
ग्रेटर नोएडा - 201308, जिला- गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)
दूरभाष नं.: 0120-2395201 फैक्स नं०: 0120-2395150



सार्वजनिक सूचना

1. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र की द्वितीय चरण की महायोजना के अन्तर्गत 02 नगरीय केन्द्रों टप्पल-बाजना व राया के विकास हेतु प्रस्तावित महायोजनाओं में यमुना एक्सप्रेसवे पर एट्री एक्सट/इंटरचेन्ज के निकट चिह्नित किए गए छोटे अर्बन नोड के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उसकी प्रति यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों तथा प्राधिकरण कि वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध रहेगी।
3. एतद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में अपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं।
4. आपत्तियां और सुझाव मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर -पी -2, ओमेगा, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर को लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक भेजे जा सकते हैं।
5. आपत्तियां और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या देना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी


यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
पेज नं०-11
23/03/16

PROPOSED LANDUSE PLAN -2031 FOR TAPPAL-BAJNA URBAN CENTRE YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA (PHASE - II)

LEGEND

	RESIDENTIAL
	COMMERCIAL
	INDUSTRIAL
	OFFICES
	PUBLIC & SEMI-PUBLIC
	PUBLIC UTILITIES
	SPECIAL AREA / MIXED USE
	TRANSPORTATION
	PARK & PLAYGROUND
	RECREATIONAL GREEN
	GREEN BELT
	SPECIALIZED INSTITUTIONS
	RIVER CONSERVATION ZONE
	AGRICULTURE
	RIVER / CANAL / DRAIN LAKE / POND
	VILLAGE ABADI
	INTERCHANGE
	ROAD NETWORK
	100m ROW
	75m ROW
	60m ROW
	45m ROW
	YEIDA Phase-II AREA BOUNDARY
	URBAN CENTRE BOUNDARY
	NODE-02 BOUNDARY
	NODE-03 BOUNDARY
	EXISTING UNDERPASS
	PROPOSED UNDERPASS



NOTE

1. Administrative Boundaries viz. YEIDA P-II, Urban Local Boundaries are based on the data collected from Survey of India and UP Administrative Atlas, Census of India, 2001 and shall be determined as per Village Revenue Maps.
2. Abadi areas are marked from Cartosat Satellite Imagery at 2.5m Resolution (Procured in May 2011) and shall be demarcated as per Revenue Records and Detailed Survey.
3. Forest shown is based on Survey of India Toposheets. All Forest areas shall be determined as per the Revenue Records of Forest Department.
4. All Water Bodies including River, Ponds, Canals, Drains etc. are based on available secondary sources and shall be determined as per Revenue Records.
5. National Highway & State Highway shall be widened as per the Right of Way reserved by respective Authorities.



**YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY**

